न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 71/2021

दायरा दिनांक–29–09–2021

गुलझारी लाल यादव पुत्र स्व. श्री चौथमल जाति यादव निवासी बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू हाल आबाद 13 साकेत नगर श्यामनगर न्यू सांगानेर रोड के. एस. फोर्ड कम्पनी के पिछे जयपुर तहसील व जिला जयपुर राजस्थान।

– आवेदक

– :: बनाम ::–

1. ओमप्रकाश
2. सुशील कुमार
3. अशोक कुमार
4. नरपत सिंह
5. प्रमोद कुमार

समस्त पुत्रगण स्व. चौथमल जाति यादव (अहीर) निवासी बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

6. शारदा देव पुत्री स्व. चौथमल पत्नी सुरेश यादव जाति यादव निवासी बसावा हला निवासी डूण्डलोद तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
7. मुन्नदी देवी पुत्र स्व. चौथमल पत्नी रामावतार जाति यादव निवासी बसावा हाल निवासी मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनू राजस्थान।
8. सरोज देवी पुत्री स्व. श्री चौथमल पत्नी नाहर सिह जाति यादव निवासी बसावा हाल निवासी मण्डावा तहसील व जिला झुंन्झुनू राजस्थान।
9. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

–अनावेदकगण

वकील आवेदक : – श्री विधाधर सिंह जाखड़
वकील अनावेदकगण :– श्री विजय कुमार शर्मा

प्रार्थना पत्र : अस्थाई निषेधाज्ञा

–:: आदेश ::–

दिनांक 23–09–2022

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है :–
राजस्व ग्राम बसावा की तन में भूमि खाता संख्या नया 662 पुराना खाता संख्या 75 में भूमि खसरा नम्बर 1477/340, 338, 339 रकबा क्रमशः 1.09, 1.16, 1.62 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 3.87 हैक्टर है। उक्त भूमि पैतृक खातेदारी काश्त की भूमि है जो आवेदक व अनावेदक के खातेदारी में दर्ज है। 1/10 हिस्सा स्व. सोनकी देवी जो आवेदक व अनावेदकगण की माता है के नाम से भी दर्ज है लेकन उनका स्वर्गवास हो गया है इस प्रकार आवेदक व अनावेदगण उसके उतराधिकारी है और प्रत्येक का 1/9 – 1/9 हिस्सा है इसी प्रकार से काबिज काश्तकार है।

ग्राम बसावा में ही भूमि खाता संख्या नया 50 पुराना ... भूमि खसरा नम्बर 1479/361, 362, 363 रकबा क्रमशः 1.83, 098, 1.15 हैक्टर कुल किता ... कुल ... 3.96 हैक्टर भूमि स्थित थी जो आवेदक व अनावेदकगण के परिवार के ही व्यक्ति की थी ... उपधारा "क" में वर्णित भूमि के पश्चिम में सटकर थी उस परिवार के व्यक्ति ने बाला–बाला उक्त भूमि को मनकोरी धर्मपत्नी गिरधारीलाल, मूली देवी धर्मपत्नी दानाराम जाति अहीर निवासी ग्राम बसावा को विक्रय कर दी थी जो भावात्मक रूप से वादी व प्रतिवादीगण के लिये दुखदायी थी कि अपने पूर्वजो की जमीन कोई तीसरा अजनबी खरीद के काश्त करता है इसलिए कैसे भी इसको फिर से प्राप्त किया जावे। वादी आर्थिक रूप से अच्छी हैसियत में था जयपुर सरकारी नौकरी करता था और जयपुर में ही भूखण्ड लेकर आबाद हो गया इसलिये वादी ने प्रत्यन्न करके गिरधारीलाल को सैट किया और उसे विक्रय करने के लिये राजी कर लिया इस कारण इस भूमि के क्रय करने में अनुपात से ज्यादा वादी के पैसे लगे है और बाकी प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 के पैसे भी लगे है। काफी पैसे उपधारा "क" में वर्णित भूमि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:32:50 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

काश्त के आय के पैसे भी इस भूमि के क्रय करने में लगे है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त धन से संयुक्त रूप से सबके लिये सबके हित व अधिकार क लिये उक्त भूमि क्रय की हुई है विक्रय पत्र वादी व प्रतिवादीगण की माता स्व. सोनकी देवी के नाम से इसलिये करवाया गया था कि माता का स्वर्गवास हो जायेगा तब अपन सब उसके उतराधिकारी है, सबको अपना अपना हिस्सा मिल जायेगा, औरत के नाम से विक्रय पत्र तस्दीक करवाने पर स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन के पैसे भी कम लेते है। इस कारण उक्त भूमि का विक्रय पत्र सोनकी देवी के नाम से करवाया गया है। इस भूमि की फर्जी वसीयत प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 ने करवा ली थी जिसको वरिष्ट सिविल न्यायाधीश नवलगढ में चुनौती दी गई इस कारण इस वाद में उक्त भूमि प्रश्नगत नही की गई है, उसका वाद अलग सिविल न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

पारिवारिक व्यवस्था व मैनेजमेंट के अनुसार हम आवेदक व अनावेदकगण ने भूमि के छः हिस्से कर रखे है अनावेदकगण संख्या 6 लगायत 9 मौके पर काश्त नही करती है उनको जो सामाजिक रीति रिवाज है उनके अनुसार नकद रूपये व कपड़ा लता दे दिया जाता है लेकिन वह रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है अगर वह भी अपना हिस्सा अलग करवा कर अलग हिस्सा लेना चाहते है तो आवेदक को कोई एतराज नही है आवेदक 1/6 हिस्से पर काबिज है और आवेदक का जहां कब्जा है उसमें कम से कम दखल देते हुवे विभाजन में बहिन अगर अपना हिस्सा नही लेती है अपने हिस्से का त्याग करती है तो वादी को 1/6 हिस्सा दे दिया जाये और अगर व त्याग नही करती है तो 1/9 हिस्सा आवेदक को दे दिया जावे।

अनावेदक नम्बर 1 लगायत 5 मुख्यतः ग्राम बसावा में बने हुवे पैतृक मकान मे ही रहते है और खातेदारी काश्त की भूमि में सिर्फ काश्त करने व भूमि का लाटने बाटने जाते है वादी ने नक्शे में बताये 1 नम्बर पर अपने हिस्से की भूमि में चार कमरे रसोई लैट–बाथ बना रखे है क्योकि आवेदक जयपुर नौकरी करता था और यहां काश्त करने के लिये व काश्त की सुरक्षा के लिये ही आता था इस कारण गांव में न रहकर सुविधा के लिये अपनी खातेदारी काश्त की भूमि मे जो पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार उसके हिस्से में नक्शे मे बताये 1 नम्बर की भूमि जो उसके हिस्से मे आई हैं उसमें मकान बना रखे है और क्योकि उस वक्त खातेदारी पिताजी के नाम से थी इस कारण विधुत सम्बन्ध भी पिताजी के नाम से ही लिया हुआ है। अनावेदकगण नम्बर 1 ओमप्रकाश ने अपने हिस्से में दो मकान बना रखे है जो नक्शे में 2 नम्बर से दिखाई गई है 3 नम्बर से दिखाई गई हिस्से की भूमि सुशील कुमार अनावेदक नम्बर 02 के हिस्से में आई है। 4 नम्बर से दिखाई गई हिस्से की भूमि अशोक कुमार अनावेदक नम्बर 03 के हिस्से में आई है 5 नम्बर से दिखाई गई भूमि नरपत सिंह अनावेदक नम्बर 4 के हिस्से में आई है, 6 नम्बर से दिखाई गई भूमि प्रमोद कुमार अनावेदक नम्बर 5 के हिस्से में आई है इसी प्रकार से अलग–अलग सीमा बना रखी है अलग अलग कब्जा काश्त है। अलग अलग लाटते है इसी प्रकार विधिवत विभाजन कर दिया जावे अलग–अलग लगान कायम कर दिया जावे, नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग है।

अनावेदकगण बाला–बाला नाजायज रूप से चर्तुथ सीमा दिखाकर वादी के पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार जो भूमि हिस्से में आई है और उसमें वादी ने कोठी बना रखी है उस हिस्से को विक्रय करके फैक्ट्री वालो से उसका ज्यादा प्रतिफल लेना चाहते है बिना विधिवत विभाजन करवाये कोई भी निश्चित भू–भाग संयुक्त कब्जे की खातेदारी भूमि का सहखातेदार विक्रय नही कर सकता अनावेदकगण बिना विधिवत विभाजन करवाये भूमि को विक्रय करके आवेदक को उसके हक हिस्से व विधिक अधिकार से वंचित करना चाहते है अगर अनावेदकगण अपनी नाजायज मंशा मे सफल हो गये तो आवेदक को इतना नुकशान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में सम्भव नही होगी वादी का प्रथम दृष्टया मामला है क्योंकि वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है [illegible] भी आवेदक के पक्ष में है। इसलिए अनावेदकगण को पाबन्द किया जाना न्या[illegible] बिना विधिवत विभाजन करवाये सह–हिस्सेदारी की भूमि को किसी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:32:50 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक ने अनावेदकगण [illegible] विभाजन करवा लेते है जिससे सकरार सुविधा प्राप्त करने व अपने अपने हिसाब से भूमि का विकास करने में सुविधा होगी लेकिन वे बाहने बाजी करते रहे और अब कहते है कि तुम्हे [illegible] की यहां क्या आवश्यकता है आप अपने पैसे ले जाओ और अपना हिस्सा हमे दे जाओ। आवेदक अपना हिस्सा उनको देना नही चाहता है इस कारण वे जान बुझकर शामलाती खाता रखकर उसमें काश्त करने में अवरौध पैदा करने चाहते है और आवेदक के हिस्से की फसल भी हड़पना चाहते है जिनका उन्हे कोई हक अधिकार नही है इसलिये विधिवत विभाजन जाकर आवेदक का खाता अलग बना दिया जाये।

आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला है सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में यदि अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जाता है तो आवेदक को अपूरणीय

ए.सी.ई.एम. (का.दे.)
नवलगढ

क्षति होगी जिसकी क्षपिपूर्ति किसी भी रूप में सम्भव नही होगी, इसलिए अनावेदक को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में अनुतोष चाहा कि अनावेदकगण को तादौराने दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम बसावा की तन में भूमि खाता संख्या नया 622 पुराना खाता संख्या 75 में भूमि खसरा नम्बर 1477/340, 338, 339 रकबा क्रमशः 1.09, 1.16, 1.62 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 3.87 हैक्टर भूमि के किसी भी हिस्से को न तो विक्रय करे, न ही वेस्ट व डेमेज करे, आवेदक को उसके हिस्से, कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे न ही अपने आदमियों से करवाये, आवेदक को अपने हिस्से की भूमि में शांति से काश्त करने दे व आबाद रहने दे, मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदकगण संख्या 02 लगायत 08 की ओर से वकील श्री विजय शर्मा ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 9 बावजूद सूचना कि उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध दिनांक 06.01.2022 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अनावेदकगण संख्या 02 लगातय 09 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर वर्णित किया कि वादी एवं अनावेदकगण में करीब 35–40 वर्षो से रहने सहने खान पान अलग है इसलिए 35–40 वर्षो से वादी व प्रतिवादी एक परिवार के सदस्य के रूप में नही रहे है। ग्राम बसावा मे कभी भी कोई संयुक्त परिवार के द्रव्य से क्रय की गई संपति स्थित नही है वादी एवं अनावेदकगण की माता ने धारा 2 (ख) मे दर्ज संपति स्वयं के द्रव्य से खरीद की है जो स्व. सोनकी देवी की स्वयं की स्व–अर्जित संपति है वादी का अपने परिवार एवं माता पिता से लगभग 35–40 वर्षो से अलग मकान बनाकर आबाद है वादी का अपने माता पिता एवं अनावेदकगण से कोई लेना देना नही है और न ही आना जाना है वादी जब से सरकारी नौकरी लगा है तब से ही आनावेदकगण को हेय दृष्टि से देखने लगा एवं उसके पश्चात हमेशा ही अनावेदकगण को नौकर का दोष दिखाकर नीचा दिखाता था और अपने निवास स्थान जयपुर में कोई प्रोग्राम में नही बुलाता और ना ही अनावेदकगण के उत्सव और प्रोग्राम मे ही आता था इस प्रकार वादी का रहन सहन और खान–पान सब कुछ अनावेदकगण से अलग था। वादी ने दावें में आधार बनाने के लिए मनगढ़त तथ्य तैयार किए है जबकि स्व सोनकी देवी पूर्ण स्वच्छ महिला थी और जिस समय धारा 2 (ख) की संपति वादी व प्रतिवादी की माता द्वारा क्रय की गई थी एव उस समय वादी एवं अनावेदकगण के पिता भी जीवित थे और उनकी उपस्थिति में ही विक्रय पत्र तस्दीक किया गया था। जब वादी एवं अनावेदकगण क पिता बिमार थे तब वादी कभी भी मिलने नही आया और न ही नौकरी लगने के बाद सेवा श्रुसा की। आवेदक व अनावेदकगण के पिता की मौत पर वादी केवल लोक लाज के लिए आया था तथा अंतिम संस्कार के तुरन्त बाद अपने निवास स्थान जयपुर चला गया था, जिस पर अनावेदकगण एवं रिश्तेदारो ने वादी को काफी समझाया कि आपका पिता था तथा आपको नियमित बैठक मे कम से कम लोग लाज के लिए ही बारह दिवस तक रूकना चाहिए लेकिन वादी ने अनावेदकगण एवं रिश्तेदारों को भला बुरा कहा और मात्र बारहवे के लिए कुछ समय के लिये आया। आवेदक व अनावेदकगण के पिता के अन्तिम संस्कार व अन्य रस्मों में होने वाले खर्चे को भी वादी ने अपने हिस्से अनुसार अदा करने से साफ मना कर दिया था इस प्रकार वादी नौकरी लगने के बाद हमेशा ही अनावेदकगण से अलग रहता था। वादी का कभी भी अनावेदकगण के परिवार में शादी त्यौहार आदि मे आना जाना नही था। वादी की भावना कभी भी अनावेदकगण के परिवार से नही जुड़ी हुई थी तो वादी का उपरोक्त विवादित सम्पति के सम्बन्ध में लगाव होना सरासर गलत होने से अस्वीकार है। वादी का यह लिखना अस्वीकार है कि वादी ने उपरोक्त विवादित सम्पति को खरीदने के पैस दिये हो वादी ने तो आपने पिता की मृत्यु पर एक रूपया भी अन्तिम संस्कार में खर्च नही किया जो व्यक्ति अपने माता–पिता के अन्तिम संस्[illegible]पया खर्च नही कर सकता वह जमीन को खरीदने में अदा करेगा यह एक हास्यप्रद कथन है जो [illegible] ने वाद को लिखने के लिए झुंठा व मनगढंत तैयार कर पेश किया है [illegible] उपरोक्त विवादित सम्पति आवेदक व अनावेदकगण की माता की स्व अर्जित [illegible] थी और सम्पति के क्रय के समय आवेदक व अनावेदकगण के पिता जीवित थे। वादी का उपरो[illegible] विवादित सम्पति से कोई लेना देना नही है। वादी का अपने परिवार से ही लगाव नही था तो वादी का उपरोक्त विवादित भूमि से लगाव का प्रश्न ही पैदा नही होता है। वादी का उपरोक्त विवादित सम्पति में एक नया पैसा भी नही लगा है और ना ही पैतृक सम्पति की आय से कोई पैसा ही लगा है। आवेदक व अनावेदकगण की माता कभी भी अन्धी व बहरी नही थी वह पूर्ण रूप से स्वस्थ महिला थी और विक्रय के समय भी स्वस्थ महिला थी एवं अपनी सम्पति की वसीयत के समय भी पूर्ण रूप से स्वस्थ महिला थी आवेदक व अनावेदकगण की माता के कभी कोई बीमारी नही थी। वादी ने मनगढ़त तथ्य बनाकर पेश किए है इस लिए वाद वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:32:50 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (का. दे.) नदबन्द

ख़ारिज होने योग्य है। वादी ने प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 8 के विरूद्ध झूंठा मनगढ़ंत व निराधार दावा प्रस्तुत कर दिया जो चलने योग्य नही है। आवेदकगण संख्या 2 लगायत 8 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र विरूद्ध अनावेदकगण संख्या 2 लगायत 8 खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे।

जवाब देही प्रस्तुत होने पर बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। वकील आवेदक ने प्रार्थना पत्र ही बहस एवं वकील अनावेदकगण संख्या 02 लगायत 08 ने जवाब प्रार्थना पत्र ही बहस होना जाहिर किया गया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

- **प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन :– दोनों बिन्दुओ का एक साथ विवेचन किया जा रहा है :–**

यह निर्विवादित है कि राजस्व ग्राम बसावा की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 662 पुराना खाता संख्या 75 मे भूमि खसरा नम्बर 1477/340, 338, 339 रकबा क्रमशः 1.09, 1.16, 1.62 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 3.87 हैक्टर है। उक्त भूमि पैतृक खातेदारी काश्त की भूमि है जो आवेदक व अनावेदक के खातेदारी में दर्ज है। 1/10 हिस्सा स्व. सोनकी देवी जो आवेदक व अनावेदकगण की माता है के नाम से भी दर्ज है लेकन उनका स्वर्गवास हो गया है इस प्रकार आवेदक व अनावेदगण उसके उतराधिकारी है और प्रत्येक का 1/9 – 1/9 हिस्सा है। आवेदकगण अधिवक्ता ने उज्र उठाया है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि आवेदक व अनावेदकगण नं. 1 लगायत 8 की शामलाती हक अधिकारों की भूमि है। वाद विभाजन का है। प्रश्नगत विवादित भूमि आवेदक एवं अनावेदकगण की शामलाती खातेदारी की भूमि दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय 1955 की धारा 53 के तहत सहखातेदार की शामलाती भूमि में प्रत्येक ईंच–ईंच पर कब्जा काश्त होता है। वाद विभाजन का है जिसका निस्तारण साक्ष्य के आधार पर साबित होगा। अतः विवादित भूमि शामलाती संयुक्त खातेदारी की भूमि होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में प्रतीत होता।

- **अपूरणीय क्षति** :– चूंकि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन आवेदकगण के पक्ष में है तो आवेदकगण को अपूरणीय क्षति घटित होती है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचना अनुसार आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदकगणों को वाद के निस्तारण होने तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम बसावा में स्थित भूमि खाता संख्या नया 662 पुराना खाता संख्या 75 मे भूमि खसरा नम्बर 1477/340, 338, 339 रकबा क्रमशः 1.09, 1.16, 1.62 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 3.87 हैक्टर भूमि किसी प्रकार का कोई दस्तावेज निष्पादित नही करें, तथा आवेदकगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा नही करें। तथा रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.09.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(... कंवर)
...यक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

Signature Not Verified
Digitally signed by ...
Date: 2023.01.11 14:32:50 IST
Reason: SelfAttested